Statement

Information received from various States/UTs in respect of the implementation of the Instructions/ Guidelines issued in pursuance of the Supreme Court Judgement on identifications of Creamy Layer

S.No.	Name of State/UT	Contents of the reply
1.	Andaman & Nicobar Islands	The UT Administration has not implemented the Guidelines/Instructions issued by the Govt. because this UT has not identified the OBC in the U.T.
2.	Jammu & Kashmir	The Government have implemented the Guidelines/ Instructions issued by the Government in this regard. The State Govt. has sanctioned J&K Reservation Rules 1994, vide 126 of 1994 regarding the reservations to OBCs in the admission of professional institutes & recruitment of Govt. Services.
3.	Andhra Pradesh	The Government have implemented the instructions/ guidelines issued by the Govt. of India in this regard vide this Government's Memo No. 3047/P-2/94-4 dated 28.3.1994.
4.	Maharashtra	This Government have implemented the instructions/ guidelines issued by the Govt. of India in this regard vide Govt.'s resolutions No. CBC-1094/CR-86/BCW-V dated 16.6.94.

गद्दी और गूजर समुदायों को अभी तक भी अनुसूचित जनजाति घोषित न किया जाना

1017. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में जिला कांगडा, कुल्लू, ऊना आदि के गद्दी और गूजर समुदाय के उन लोगों को जिन्हें पंजाब के पुनर्गठन के उपरान्त हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया था, अभी तक भी अनुसूचित जनजाति का सदस्य घोषित नहीं किया गया है;

(ख) क्या चम्बा, मंडी-सिरमौर आदि जिसे पुराना हिमाचल कहा जाता है, में रहने वाले गद्दी और गूजर समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति का सदस्य घोषित किया गया है;

(ग) उपरोक्त विसंगति को दूर करने के लिए सरकार को भिन्न-भिन्न जन-जातियों से कब-कब अनुरोध प्राप्त हुए; और

(घ) सरकार द्वारा उन पर आज तक क्या कार्यवाही की गई है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) [illegible]

(ग) हिमाचल प्रदेश के गद्दी तथा गूजर समुदायों से संबंधित क्षेत्रीय प्रतिबन्ध को हटाने के लिए पिछले कई वर्षों से दावे प्राप्त किए जा रहे हैं।

(घ) यह प्रस्ताव विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूचियों में संशोधन के लिए अन्य ऐसे दावों के साथ सरकार के विचाराधीन हैं।

Increasing cases of starvation deaths in Orissa

1018. SHRI SANJAY NIRUPAM: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the increasing cases of starvation deaths in various parts of Orissa as reported in the newspapers;

(b) if so, the details thereof in last six months, month-wise and district-wise;

(c) the immediate steps including time bend plan Central Government has taken to remedy the situation;

(d) the amount of Central assistance if any, released for Orissa to meet the requirement

(e) the details of Central Government agencies and Non-Governmental Organisations deputed in starvation prone district of Orissa indicating the details of incentives offered to such agencies by Central Government?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) and (b) Government are aware of some such reports that have appeared in newspapers, but as per information available with Ministry of Agriculture, which is the model Ministry for the subject, Government of Orissa has not reported any starvatione deaths during the last six months.

(c) and (d) According to the reports received from the State Government 15,818 villages of 18 districts in the State suffered crop losses of more than 50% during 1996-97 and are affected by drought conditions in varying degrees. Govt. of India have already released Rs. 36.76 crore during the current year as its Central share of Calamity Relief Fund. In addition an adhoc assistance of Rs. 13.00 crores has also been released from the National Fund for Calamity Relief for drought relief measures.

(e) Government of India have not deputed any Agency/Organisation for relief work in the drought-affected areas, as the State Government is responsible for organising relief and rehabilitation measures in the areas affected by natural disasters.

सफाई कर्मचारियों को छोटे-छोटे निजी व्यवसाय चलाने के लिए ऋण

1019. **श्री राम जेठमलानी:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सफाई कर्मचारियों को छोटे-छोटे निजी व्यवसाय चलाने के लिये ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किसी वित्तीय संस्थान की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऋण प्राप्त करने हेतु पात्र बनने वाले व्यक्तियों के लिये कोई मानदंड निर्धारित किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कुल कितने व्यक्तियों को कितनी-कितनी राशि के ऋण प्रदान किये गये हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम को कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत एक लाभ न कमाने वाली कम्पनी के रूप में 24 जनवरी, 1997 को शामिल किया गया है। इस निगम का पंजीकृत कार्यालय दिल्ली में है। इस निगम की प्राधिकृत शेयर पूंजी 200 करोड़ रु. है। वर्तमान वर्ष के लिए 2 करोड़ रु. का बजट प्रावधान है। इस निगम द्वारा अनुसरण किए जाने वाले मुख्य उद्देश्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं। **(नीचे देखिए)**

(ग) इन निगम के संगम ज्ञापन में यह प्रावधान किया गया है कि कम्पनी प्रारंभिक वर्षों के दौरान अपने कार्य केवल ऐसे सफाई कर्मचारियों को सहायता प्रदान करने तक सीमित रखेगी जो स्वयं अथवा उसके आश्रित सफाई कर्मचारी हों तथा सफाई कर्मचारियों अथवा उनके आश्रितों को व्यापक रूप से शामिल करने के बाद अन्य सभी सफाई कर्मचारियों को अपनी परिधि में लाएगी, बशर्ते यह भी कि, अन्य बातें समान रहने पर, यह कम्पनी महिला सफाई कर्मचारियों के आर्थिक विकास और पुनर्वास को प्राथमिकता प्रदान करेगी।

(घ) चूंकि इस निगम को अभी कार्य शुरू करना है, इसलिए लाभग्राहियों को ऋण प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1. सफाई कर्मचारियों के लाभार्थ आर्थिक विकास संबंधी कार्यकलापों को बढ़ावा देना।
2. सफाई कर्मचारियों के लाभ/आर्थिक पुनर्वास के लिए स्वरोजगार उद्यमों को बढ़ावा देना।
3. सफाई कर्मचारियों अथवा सफाई कर्मचारियों के समूहों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य आय सृजक योजनाओं एवं परियोजनाओं के लिए ऋणों एवं अग्रिमों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आय/अथवा आर्थिक मानदंडों के अध्यधीन सहायता प्रदान करना।
4. सफाई कर्मचारियों को संबंधित कार्यक्रमों के अंतर्गत राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर सरकारी मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से रियायती वित्त मंजूर करना।
5. सफाई कर्मचारी समुदाय के छात्रों को स्नातक तथा उच्च स्तरों पर व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण प्रदान करना।